International Journal of Research inSocial Science
Vol. 11 Issue 12, December 2021,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

जयपुर जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं के सशक्तिकरण का अध्ययन एवं मूल्यांकन

प्रभु दयाल रैगर
रिसर्च स्कॉलर
भूगोल विभाग
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय
अजमेर (राज.)
महाविद्यालय

डॉ. सुनिता पचौरी
एसोसियट प्राफेसर
(रिसर्च गाईड)
भूगोल विभाग
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय
अजमेर (राज.)

सारांश :-

आबादी किसी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, जिससे न केवल प्राकृतिक संसाधानों का सदोपयोग संभव हो पाता है न ही कुशल, प्रशिक्षित एवं मेहनती, श्रम शक्ति द्वारा आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कारण है कि किसी देश की वास्तविक ताकत उसकी मानव शक्ति समूह की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। (भारत का भूगोल- आर.सी. तिवारी- पृष्ठ संख्या -523)

साक्षरता मानव विकास और जीवन की गुणवत्ता का एक सूचकांक है। कम साक्षरता से आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विकास में रूकावट आती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 73 प्रतिशत लोग साक्षर थे। यद्यपि यह प्रतिशत 1901 की साक्षरता का 14 गुणा एवं 1951 का 4 गुणा है परन्तु देश की जनसंख्या के वृहद आकार के कारण विश्व में सर्वाधिक निरक्षरों की संख्या भारत में पाई जाती है। ये देश के परम्परावादी, जनजातिय और अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले पिछड़े क्षेत्रों में पाई जाती है।

अनुसूचित जातियां (Scheduled Castes) :-

अनुसूचित जातियां हिन्दू समाज के सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हीन जाति समूह को प्रदर्शित करती है, इनमें अधिकांश श्रमिक, छोटे किसान और दस्तकार हैं। इनके भौगोलिक वितरण से देश में गरीबी के प्रादेशिक परिमाण का अंदाज लगाया जा सकता है। अनुसूचित जातियां एक विषम जातिय समूह है, इसमें 542 जातियां शामिल है। भारत में स्वतंत्रता के समय अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 5.17 करोड़ थी, जो वर्ष 1981 में

बढकर 10.47 करोड़ और वर्ष 2011 में 20.14 करोड़ (जो कुल जनसंख्या का 16.63 प्रतिशत) हो गई है।

शब्द कुंजी –महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति, अस्पृशंयता, मूल्यांकन, मानव विकास, आर्थिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, नारी प्रगति।

शोध उद्देश्य एवं प्रविधियाँ –

भारत के आजाद होने से पूर्व तथा आजादी के बाद भी समाज का एक वर्ग जो **सामाजिक सरोकार से पृथक कर दियागया** था या स्वयं अभाव ग्रस्त होने के कारण अन्य – वर्गो या जातियों से अलग हो गया था।

इस समाज के उत्थान हेतु विभिन्न समाज सुधारका, धर्मगुरूओं, शिक्षकविदो तथा समाजशास्तियो और सरकारी तथा गैर- सरकारी -तंत्र ने अपने-अपने स्तर से समाज मे व्याप्त बुराईयों, कुरितियों, कु-प्रथाओं तथा निर्धनता को नष्ट करने हेतु अपने तरीको से कालक्रमानुसार प्रयास किया है।

इन्हीं प्रयासो को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परिदृश्य में अनुसूचित जाति की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक , शैक्षणिक सशक्तिकरण का अध्ययन करना ही शोध-कार्य का मूल उद्देश्य है।

शोध प्रविधियॉं एवं अध्ययन तकनीकी-

शोध विषय के चयन और शोध – समस्या तथा शोध – निष्कर्ष एवं मूल्यांकन आदि में शोध- प्रविधियाँ एवं अध्ययन तकनीकी की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है।

प्रस्तूत शोध-कार्य की प्रमाणिकता, सत्यता एवं यथार्थ तक पहुँचने हेतु शोध- कार्य में विभिन्न शोध- प्रविधियाँ तथा अध्ययन तकनीकीओं का प्रयोग बडे ही सूझ-बूझ से किया गया है। सामाजिक एवं भौगोलिक तथा सांस्कृति, आर्थिक एवं राजनैनिक तथ्यों के संग्रहण का प्रमुख आधार है। प्राथमिक तथा द्वितीय स्त्रोतों के संग्रहण के आधार पर आंकडो का संग्रहण करना है।

शोध कार्य में क्षेत्रीय स्तर अथवा प्रलेखनीय आधार पर जो भी **शोध सामग्री एकत्रित की जाती है उसे समंक कहते है।**

शोध- कार्य में पूर्व निर्धारित परिकल्पनाऐं के आधार ही तथ्यों का संकलन करते है। तथ्यों का संग्रहण शोध- कार्य हेतु अति महत्वपूर्ण है।

इस शोध- कार्य में तथ्यों के संकलन के लिए विभिन्न प्रविधियाँ एवं अनुसूचियों का उपयोग किया गया।

मौलिकता के आधार तथ्यों की सग्रहण या समंको को प्राप्त करने के **दो स्त्रोत है :-**

(1) प्राथमिक तथ्य / आंकडो संकलन स्त्रोत :-

इस स्त्रोत के माध्यम से शोध कार्य में मौलिक, वास्तविक तथ्यों का संकलन किया गया है।

शोध-कार्य में शोधकर्ता स्वयं शोध-क्षेत्र मे जाकर वहां निवास करने वाली अनुसूचित जाति की महिलाओं से मिलकर, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार तथा अवलोकन प्रविधियों के माध्यम से मूल - आंकडे प्राप्त किया।

शोध-स्थल जयपुर की विभिन्न तहसीलों को आधार में रखकर किया गया है। सर्वप्रथम जयपुर की 13 उपखण्डों तथा 13 तहसीलों के प्रत्येक ग्राम में जाकर प्रश्नावली के माध्यम से महिलाओं से मिलकर मौलिक /प्राथामिक आँकड़े प्राप्त किया।

शोध क्षेत्र की विभिन्न तहसील या गाँव में अनुसूचित जाति की महिलाओं की रहन-सहन जीवन शैली, आवास-वैशभूषा, भाषा, खान-पान तथा सामाजिक समूह सरचना, अधिवास संरचना तथा की भौगोलिक स्थिति का आंखो-देखा, अवलोकन किया गया है। तथा बाद मे तथ्यों अनुसूची बनाकर शोध की मौलिकता पर पहुँचने की कोशिश की गई है।

शोधकर्ता ने शाहपुरा तहसील के विभिन्न गाँव जैसे- बिशनगढ,, त्रिवेणी-धाम, देवीपुरा, मनोहरपुर, घासीपुरा खोरी, अमरसर, नाथावाला, साईवाड, चिमनपुर, राड़ावास गाँवों मे जाकर अनुसूचित जाति की महिलाओं की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति एवं राजनैतिक स्थितियों का अवलोकन करके प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया है। तथा इसके

साथ-साथ आमेर-तहसील, फागी, जमुवारामगढ, कोटपुतली, विराटनगर तथा चाकसू एवं चौमूं तहसील के विभिन्न गाँवों का प्रतिचयन विधि से अनुसूचित जाति की महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण एवं राजनैतिक, धार्मिक सशक्तिकरण आदि पक्षों से संबधित तथ्यों का क्षेत्र में जाकर महिलाओं अर्थात उत्तरदाताओं से मिलकर शोधार्थी ने स्वयं आंकड़े किये है।

(2) द्वितीय तथ्य /ऑकडो संकलन स्त्रोतः-

इस प्रकार के आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं के माध्यम से सीधा न प्राप्त करके—अपितु अन्य माध्यम के द्वारा तथ्य संकलित करता है। या सूंचनाओं को एकत्रित करता है।

इस प्रकार के आंकडो को द्वितीय आंकडो या तथ्यों को प्राप्त करने हेतु **जयपुर जिले में अनुसूचित जाति की महिला सशक्तिकरण का अध्ययन एवं मूल्यांकन विषय** से सम्बधित विभिन्न प्रकाशित एवं प्रलेख, तथा पत्र-पत्रिकाओं, डायरियों सरकारी एवं गैर-सरकारी महिला सशक्तिकरण विभागों से आकडे प्राप्त किये गये है।

पंचायती राज विभाग जयपुर, महिला एवं बाल-विकास विभाग जयपुर, अनुसूचित जाति आयोग, महिला सशक्तिकरण विभाग तथा दलितों उत्थान संस्थान आदि से आंकड़े प्राप्त किया गया है।

द्वितीय तथ्यों के संकलन के लिए शोध कर्ता ने ग्राम - पंचायत स्तर , तहसील स्तर , पटवार-कार्यालय एवं **महिला विकास अधिकारी तथा आंगनबाडी केन्द्र** से भी आंकडे प्राप्त किये गये है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी मे स्थित शोध - प्रबन्ध, शोध - रिसर्च पेपर, जिसमे विशेषरूप **राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर, उदयपुर विश्वविद्यालय तथा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर एवं कोटाविश्वविद्यालय, वनस्थली विश्वविद्यालय टोंक तथा महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय, सतना (मध्यप्रदेश) के समाज शास्त्र विभाग, महिला सशक्तिकरण अध्ययन**

केन्द्र दिल्ली तथासंयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष(UNIFEM)तथा समाज कल्याण विभाग ,जयपुर आदि विभागो से जनसंख्या महिलाओ की आर्थिक स्थिति, राजनैतिक, सामाजिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित आंकडे प्राप्त किये गये है। तथा विभिन्न आयोग, महिला आयोग (राष्ट्र एवं राज्य) अनुसूचित जाति आयोग, आयोजन विभाग, आदि से अनुसूचित जाति महिलाओं के सशक्तिकरण से सम्बन्धित आँकड़े प्राप्त किया है।

द्वितीय सूचनाऐं या तथ्य संकलन के लिए शोधकर्ता ने निम्न आधार पर तथ्यो को प्राप्त किया है :-

(1) प्राचीन साहित्य घटनाओं का अवलोकन, जाति - व्यवस्था से सम्बन्धित पुस्तके, महिला- सशक्तिकरण का साहित्य, महिला कानून, महिला अधिकारिता विषय, भारतीय संविधान तथा महिला साक्षरता, महिला गरीबी, अनुसूचित जाति की महिलाओं की विभिन्न पृष्ठभूमि से सम्बिधिंत साहित्य का अध्ययन करके आंकडे या तथ्य प्राप्त करके शोध के उचित निंष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश की गई है।

द्वितीय तथ्य के संकलन हेतु शोधकर्ता ने वैदिक साहित्य, ऋग्वेद सूक्त, धर्म- स्मृति, मनुस्मृति, महाभारत, रामायण तथा दलित साहित्य तथा विभिन्न पुस्तकालयों की पुस्तकों का अवलोकन किया गया।

(2) अनुसूचित जाति की महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित विभिन्न विभागों मे जाकर आंकड़े प्राप्त किये। जैसे- ग्राम-पंचायत, तहसील, महिला विकास केन्द्र, महिला एंव बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी विभाग महिला सशक्तिकरण की योजनाओं से सम्बन्धित विभाग, महिला सुरक्षा विभाग, जयपुर अनुसूचित जाति आयोग-जयपुर, राज्य महिला आयोग-जयपुर से आकड़े प्राप्त किये गये है।

(3) शोध अध्ययन क्षेत्र के परिचय के लिए जयपुर मास्टर प्लान विभाग, नगर नियोजन विभाग- जयपुर तथा मौसम विभाग सांगानेर जयपुर , भू - सर्वेक्षण विभाग तथा सेटलमेंट विभाग जयपुर एवं नक्शा निर्माता विभागों में जाकर अध्ययन क्षेत्र से सम्बन्धित मानचित्र,

जलवायु भू - संरचना मिटी, अपवाह तंत्र, जनांकिकीय तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं का तहसीलवार अध्ययन करके आकड़े प्राप्त किया।

(4) शोध-कार्य के दौरान शोधार्थी ने विभिन्न महाविद्यालय, विश्वविद्याालय के ग्रन्थालय, एंव सांख्यिकी विभाग, जिला जनगण्ना कार्यालय तथा विभिन्न शोध- पत्र, शोध- प्रबंध तथा शोध से सम्बन्धित पत्र- पत्रिकाओं एवं भारत सरकार, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा प्रतिवेदन तथा बजट-2021 आदि का अध्ययन एवं विभागो मे जाकर अनुसूचित जाति महिला सशक्तिकरण से सम्बन्थित आंकडे प्राप्त किया है।

परिकल्पनाऐः-

किसी भी शोध- कार्य को परिसीमन करने के लिए इसके उद्देश्यों को ध्यान मे रखते हुए परिकल्पनाओं का निर्माण करना अति आवश्यक है। परिकल्पना से तात्पर्य किसी शोध-कार्य क्षेत्र की वस्तु स्थिति के बारे मे पूर्व अनुमान, कल्पना, विचार तथा निष्कर्ष का अनुमान लगाना सामान्यीकरण एवं अमूर्त विचार करके शोध- कार्य की - सत्यता तक पहुँचाने की विचारधारा है। इसी आधार पर सूचनाओ का संकलन करके उचित निष्कर्ष, उद्देश्य की ओर गति करना ही परिकल्पना कहलाती है।

प्रो. यंग के अनुसारः-

यह एक कार्यवाहक विचारधारा जिसका उपयोग वास्तविक खोज या शोध- कार्य के लिए किया जाता है। अतः परिकल्पनाऐ अनुसंधानकर्ता को उसके शोध-मार्ग से इधर एवं उधर भटकने की बजाय सही राह या दिशा दिखाकर आगे बढना सहयोगी सिद्ध होती है।

शोधकर्ता शोध की प्रकृति के आधार पर परिकल्पनाओ को पूर्व अनुमान के आधार निर्मित कर लेता है तथा जिनका शोध- कार्य के दौरान परीक्षण करता है। **पूर्वानुमान सत्य भी हो सकते है तथा असत्य भी हो सकते है,** यदि अनुमान सत्य सिद्व होते है तो यही परिकल्पनाऐ, सिद्वान्त का रूप लेती है। **परिकल्पनाऐं दो प्रकार की होती है -**

(1) सांख्यिकीय (2) शून्य परिकल्पना।

शोधकर्ता ने निम्न परिकल्पनाओं को निर्धारित किया है :-

1. अनुसूचित जाति के समाज मे महिला की स्थिति कमजोर है।
2. अनुसूचित जाति की महिलाओं में कुपोषणता पायी जाती है।
3. अनुसूचित जाति की महिलाऐ राजनीतिक सशक्तिकरण मे निर्णय करने की क्षमता पुरूषों से प्रभावित है।
4. अनुसूचित जाति की महिलाऐओ आर्थिक , सामाजिक दृष्टिकोण से मजूबत नही है।
5. अनुसूचित जाति समाज मे अधिकांश महिलाऐं विशेष-कर ग्रामीण इलको में प्राथमिक कार्यो में संलग्न है। विशेष रूप से - वाल्मीकि, गवारिया, बावरिया, रैगर, नट, कालबेलिया, बलाई, मेहत्तर सामज की महिलाऐं प्राथमिक कार्यो में संलग्न है।
6. समाज एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण के विभिन्न कार्यक्रम, शिविर एवं योजनाऐं पूर्णरूप से संचालित नही हो रही है।

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा एंव अर्थ तथा परिभाषा :-

सशाक्तिकरण एक प्रकिया है, जिसके माध्यम से जागरूकता बेहतर विकास कार्यशीलता और बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय के लिए समर्थ एवं स्वंतत्र होता है। इस दृष्टि से समझने की कोशिक करे, तो नारी का सशक्तिकरण एक सम्पूर्ण विकास या सर्वांगीण व बहुआयमी विकास की प्रकिया से लिया जाता है।

सशक्तिकरण की प्रकिया राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीय व समरसता पूर्ण विकास तभी संभव है, जब नारी को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद पर प्रतिष्ठित किया जाए, उन्हें पुरूषों के साथ साथ हर क्षेत्र में कदम से कदम साथ देना को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। तभी सही मायने में महिला सशक्तिकरण है। के अंतर्गत महिलाऐं अपने आर्थिक स्वावलम्बन, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विकास के लिए विभिन्न आयामों तक पहुँच सुनिश्चित करती है। सशक्तिकरण का दायरा व्यक्तिगत हक को प्राप्त करने से

लेकर सामुहिक विरोध प्रदर्शन करने और शक्ति के सम्बंधों को चुनौंति देने के लिए संगठित होने की प्रकिया को सशक्तिकरण शब्दावली से लिए जाता है।

अर्थात् नारी को जीवन जीने हेतु सम्पूर्ण अधिकार दिलाने की प्रकिया ही सशक्त या सशक्तिकरण प्रकिया कहलाती है। अपने अधिकारों के लिए क्षमताओं योग्ताओं तथा जिम्मेदारियों तथा रूचि सम्बधी कार्यों के प्रति रूचि जाग्रत करनी ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। इस प्रकिया के तहत महिला विरोधी तकतों को निर्बल बनाया जाता है। जैसे कि परिवार में असमानता एवं दहेज प्रताड़ना के विरोध आवाज उठा कि शिक्षा प्रदान करती है। यदि सही मायनों में महिलाओं का उत्थान होता है, तो पुरूषो का हुक्म और दबाव जैसे घर से बाहर नही जाना महिलाओ पर कई प्रकार की पाबंदी अपनी इच्छानुसार कार्य की प्रवृति का नही पाये जाना इस प्रकार कें दबाव सशक्तिकरण के दौरान कम हो जायेगे। भारतीय संकृति में महिलाओ की भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है।

प्रागैतिहासिक युग मे महिला की स्थति का स्थान पुरूष वर्ग के समान नही था, अपितु प्राचीन काल मे पुरूषों से श्रेष्ठ की स्थति थी ।

क्योंकि **परिवारमातृसत्तात्मक** था। प्राचीन ग्रन्थों में **''स्त्रीहि ब्रह्मा बभूर्विवि"** अर्थात् उन्हें ब्रह्मा का निर्माणकर्ता बताया गया है। प्राचीन काल मे महिलाओं को श्रेष्ठ समझा जाता था, लेकिन धीरे-धीरे कालक्रम के अनुसार महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना प्रारम्भ हुआ। विशेष रूप से मध्यकाल में नारी शक्ति की दुर्गति होना प्रारम्भ हो गई थी नारी को भोग विलास की वस्तु समझने लगे थे।

स्वतंत्रता युग एवं नतून युग में पुनः नारी उत्थान से सम्बधिंत योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाने लगा। 15 अगस्त 1947 ई. के बाद अर्थात् स्वाधीनता के बाद जो काल प्रारम्भ हुआ था। उसे इतिहास में ''नारी प्रगति का युग कहा गया है।

भारतीय नारी समाज में बहुत उतार चढाव हुआ और धीरे-धीरे महिला सशक्तिकरण की और अग्रसित होती गई है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन एंव शासन की व्यवस्था को सफल संचालित करने हेतु नेतृत्व की अहम भूमिका होती है।

इसलिए भारत देश के लोकतंत्र को संचालित करने हेतु पुरूष एंव नारी का समन्वय की भावना से सहयोग होना चाहिए। नतून शताब्दी एवं महिला सशक्तिकरण के युग में महिला नेतृत्व अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। आज महिला किसी भी वर्ग की हो सभी को भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाया जा रहा है। अतः हम कह सकते है, कि अति प्राचीन काल में महिला उत्थान में उतार-चढाव आया था, फिर मध्यकाल मे स्थिति खराब हुई तथा आज वर्तमान काल मे धीरे-धीरे महिला संशक्तिकरण अर्थात महिला अधिकारों के प्रयास अच्छे किये जा रहे है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ एंव परिभाषा :-

साधारण शब्दो में महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ है, कि महिलाओं को अपने जीवन के सभी फैसले सही लेना की स्वतंन्त्रता से लिया गया है। या नारी में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशलता का विकास करना, ताकि महिला अपनी जिन्दगी के फैसले स्वयं ले सके। और नारी को इतना ज्ञान हो जाये की मेरे लिए जो निहित कार्य कितना ? सही है। या नही जैसी क्षमता उत्पन्न करना ही सशक्तिकरण से लिया जाता है। सशक्तिकरण शब्द का निमार्ण मुख्य रूप से तीन शब्दों के योजक से हुआ है।

जो निम्न है :-

स+शक्ति+करण यहां "स" उपसर्ग है। "शक्ति" संज्ञा है। तथा "करण" प्रत्यय है। इनसे मिलकर सशक्तिकरण शब्द का निर्माण हुआ है। इस करण प्रत्यय शब्द से ध्वनि अर्थ लिया जाता है। शक्ति सहित गत्यात्मक गति सशक्तिकरण एक गत्यात्मक प्रकिया है। यह निरन्तर चलने वाली प्रकिया है। अर्थात् निर्बल से सबल बनने की प्रकिया है। एक पूर्ण सशक्त व्यक्ति अर्थात् महिला या पुरूष वह है, जो अपने जीवन से सम्बंधित नीति निर्णय स्वयं लेने में पूर्व रूप से स्वंतत्र हो जैसा :- कि सामाजिक गतिविधियों में जिसमें विवाह संतानोत्पत्ति, कारोबार, शिक्षा, भ्रमण एंव देशोटन में किसी तरह का सामाजिक बंधन नहीं होता है। महिलाओं के संदर्भ में सशक्तिकरण की अवधारण अधिक महत्व पूर्ण होती है।

उपर्युक्त ऐतिहासिक अवधारणा का यह निष्कर्ष है, कि प्राचीन भारतवर्ष मे महिला को पुरूषों के समान अधिकार दिये गये थे। इस समय महिला को पूर्ण गारिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार था, लेकिन महाभारत काल मे नारी की गारिमा नष्ट होने लगी थी। धीरे- धीरे नारी का पतन प्रारम्भ होगा गया था। महिलाओं से उठने-बैठने तथा शिक्षा का अधिकार छिन्न लिये गये थे। महिलाओं की दयनीय एवं चितांजनक स्थति होती जा रही थी।

इस प्रकार वर्तमान समय में महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर दृष्टि डाले तो हम पाते है, कि महिला की स्थिति धीरे-धीरे सशक्तिकरण के आयामों को प्राप्त करते हुए विकास की प्रकिया को छू रही है। दमन, दलन तथा सामाजिक, शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न से मुक्त होकर जागरूकता की ओर बढकर भारतीय समाज में महिलाऐ श्रेष्ठ है निर्मात्री की उपमा प्राप्त कर है। आज की नारी पुरूष से कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में कार्य कर रही है।

परिभाषाः--

"बीना अग्रवाल मुख्य अर्थशास्त्री" के अनुसार - महिला सशक्तिकरण को एक ऐसी प्रकिया के रूप मे परिभाषित किया है, कि जिसमे दुर्बल एंव उपेक्षित लोगों के समूहों की बढने से किया है।

जिसमें नारी अपने आपको निम्न आर्थिक एवं सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था को बदलने की शक्ति प्रदान करती है। नारी सशक्तिकरण से यह अर्थ लिया जाता है, कि नारी को समाज में आत्मनिर्भर बनाया है। नारी को समाज में समानता प्रदान करना है।

डॉ. दिग्विज सिंह- महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय लोक तंत्र में नारी की भागीदारी से है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का सबसे अछा मानक हैं।

इस प्रकार महिला सशक्तिकरण की परिभाषा होगी समाज अपना राजनैतिक तथा आधिर्क और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी समान कार्य का समान वेतन कानून के समान कार्य का समान वेतन कानून के तहत सुरक्षा प्रजनन का अधिकार आदि है।

डॉ. अरूण कुमार सिंह :-

''महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला को शक्ति सम्पन्न बनाया जाए तकि महिला समरसता के साथ जीवन यापन कर सके।

लीना मेंहदेले के अनुसार :-

सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है, जो कुछ विशेषरूप से आन्तरिक कौशलता, सामाजिक दशाओ पर निर्भर है।

इनमें प्रमुख तत्व पाये जाते है :-

1 निर्भयता जिसके लिए समाज में सुरक्षा एंव कानून व्यवस्था का होना।

2. रोजमर्रा के दौरान किये जाने वाले नीरस और उबाऊ तथा शारीरिक थकान करने वाले कार्यो से मुक्ति।

3. आर्थिक रूप से निर्भरता एंव उत्पादन की क्षमता मे सम्पन्न होना ।

4. निर्णय लेने का अधिकार

5. महिलाओं को सत्ता एवं सम्पत्ति में पुरूषों के साथ सहभागिता में समानता का पाया जाना।

6. शैक्षिणिक जागरूकता जो नारी को उपर्युक्त आयामों परिस्थितियों के लिए तैयार कर सके।

महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रकिया है। जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को अपने नियंत्रण करने में बेहतर मौका मिल जाता है। इसका तात्पर्य केवल संसाधनों की सम्पन्न से ही नही लिया है, अपितु इस प्रकिया के माध्यम से आत्मविश्वास में वृद्विकरण एंव पुरूष वर्ग के साथ सभी कामों में बराबरी से लिया जाता है।

भारत के प्रथम प्रधानमत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कहा है कि '' लैगिक असमानता चाहे वह आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो मानवीय गरिमा की स्थापना की चाहिए तथा लैंगिक असमानता को दूर करना चाहिए। पूर्व

प्रधानमंत्री स्व. नेहरू जी का मानना था, कि लिंग के आधार पर नारी के साथ किसी भी प्रकार का भेद भाव नही होना चाहिए।

निशांतमीनाक्षी ने लिखा है, कि सशक्तिकरण अर्थात् महिलाओं को सम्पन्न बनाना, ताकि विश्व की 50 प्रतिशत जनसंख्या सुदृढ़ या सबल एवं आत्मनिर्भर हो सकती है।

ऑक्सफॉर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, सशक्त होने की स्थिति को सशक्त बनाने की कार्यवाही के रूप में परिभाषित किया हो।

यू.एन.ओ की संस्थायूनिफेम (UNIFEM-महिला संयुक्त राष्ट्र विकास कोष) के अनुसार सशक्तिकरण की परिभाषा इस प्रकार है –

नारी सशक्तिकरण से स्त्री-पुरूष के सम्बधों को समझा जा सकता है, जो स्वयं का मूल्य समझते हुए निर्णय लेने की कौशलता विकसित करना है। स्वयं की क्षमता पर विश्वास कर अपने जीवन के सभी निर्णय महिला अपने आप ले सके। सामाजिक परिवर्तन की स्थिति समझने की और संगठित करने की क्षमता को विकसित करना है।

विश्व बैंक के अनुसार- नारी सशक्तिकरण अवसर तैयार करने तथा इच्छित कार्यों एवं परिणामों से अन्य उन अवसरो को परिवर्तन करने के लिए व्यक्तियो या समूह की क्षमता बनाने की प्रकिया से लिए जाता है।

गांधी के अनुसार :-

‘‘हमारा सर्वप्रथम प्रयास यह है कि अधिक से अधिक नारियों को वर्तमान परिदृश्य के प्रति जागरूक करना होना चाहिए।

यूएन-डीपी (सयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम रिपोर्ट) के अनुसार- नारी सशक्तिकरण का महत्व इस बात से है, कि सदियों से चली आ रही पुरूष एंवं महिलाओं के मध्य विकास की खाई को दूर करना। लैगिक समानता एवं गरीबी की कमी, प्रजातंत्र शासन-व्यवस्था विभिन्न कुप्रथाओं की रोकथाम सतत विकास एंव पर्यावरण मे महिलाओं की भागीदारी मे महिलाओं की भागादारी सुनिश्चित करना। महिला सशक्तिकरण से मतलब है, कि

राजनैतिक एवं आध्यात्मिक, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था में सुनिश्चित भागीदारी से लिया जाता है।

सामाजिक सशक्तिकरण की पृष्ठभूमि–

अनुसंधान का महत्त्वपूर्ण बिन्दु अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण का अध्ययन करना है। सामाजिक अनुसंधान इस मान्यता पर आधारित है, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह समाज मे अनेक जाति एवं वर्ग-विशेष में रहता है। वर्ग-विशेष मे मनुष्य की दशाऐं उसकी जीवन-शैली, आकांक्षा एवं जीवन से संबंधित विभिन्न ग्रामीण एवं नगरीय परिक्षेत्र मे रहने वाले उच्च तथा मध्यम और निम्न-वर्ग की जीवन शैली एक दूसरे से भिन्न होती है।

फिर चाहिए वैदिक काल हो या उत्तर-वैदिक-काल तथा मध्यकाल हो या फिर वर्तमान काल इन सभी कालो में महिलाओं का स्थान द्वितीय अर्थात् भारतीय समाज-व्यवस्था में एक तरफ भेदभाव, असमानता, जातिवाद, धर्मवाद तथा ऊँच-नीच, अमीर-गरीब जैसी असमानता पायी जाती है, तो वही दूसरी ओर पुरूष एवं महिला भेदभाव, लिंग भेदभाव जैसी असमानता या विषमता देखी जाती है।

वर्तमान भारतीय समाज मे असमानता व शोषण की घटनाऐं प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। लैंगिक आधार हो या जातिगत आधार दोनों प्रकार की असमानता देखने को मिलती है। विभिन्न रूपों मे दिखाई देती है, आज नारी-वर्ग पर बहुत-सी पाबंदियाँ, पर्दाप्रथा तथा महिला शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता दिखाई देती है।

आर्थिक सशक्तिकरण की पृष्ठभूमि :-

अनुसूचित जाति समुदाय की महिला की आर्थिक स्थिति बड़ी ही दयनीय है। **इस समुदाय की अधिकांश महिलाऐं मजदूरी का कार्य करती है।** और अपना जीवन गुजारती है। इस समाज की माली हालात या दयनीय है। यह समुदाय भूमिहीन है। अतः निवास हेतु कई परिवारों के पास दो गज जमीन भी उपलब्ध नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोरी का कारण

उच्च-वर्गों या सवर्ण-वर्गों के द्वारा मानसिक रूप से निर्धारित की गई आर्थिक निर्योग्यताऐं है।

यदि अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाऐं या पुरूषों के द्वारा किसी स्थान-विशेष पर कोई कारोबार या दुकान या जीवन गुजारने के लिए यदि कुछ कार्य भी करते है, तो जातिवाद, धर्मवाद, अंधविश्वास या ओछी मानसिकता के कारण उच्च-वर्ग विशेष के व्यक्ति उपक्रम नही खोलने देते है। यदि खोल भी लेते है, तो जातिवाद के कारण बिक्री नहीं होती है। तथा बंद हो जाती है, लेकिन आज वर्तमान में धीरे-धीरे लोगों की मानसिकता बदल रही है तथा अनुसूचित जाति के समुदाय मे सरकार या विभिन्न गैर-सरकारी एजेंसी के द्वारा इनमें जागरूकता लाने हेतु के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रारम्भ करने के कारण आज यह समाज तरक्की की ओर अग्रसित हो रहा है।

राजनीति सशक्तिकरण -

किसी भी समाज का राजनैतिक वजूद होना आवश्यक है। क्योंकि सर्वसमाज में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करके अपने तथा अन्य के योगदान देने हेतु अवसर सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की भागीदारी कम ही पायी जाती है। यह कारण है क्षेत्रवाद, धर्मवाद, वर्गवाद, भाई-भतीजावाद आदि। आजादी से पूर्व अनुसूचित जाति समुदाय की राजनैतिक स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन विभिन्न समाज सेवकों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज वर्तमान युग में संवैधानिक अधिकारों के परिणाम स्वरूप स्थिति में सुधार आया है।

निष्कर्ष -

प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत **अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं के सशक्तिकरण** के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत किया गया है। इसके अन्तर्गत **अनुसूचित जाति की महिलाओं की शैक्षणिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि का सूक्ष्म दृष्टिकोण से अध्ययन एवं मूल्यांकन** का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

प्रस्तुत शोध कार्यों में महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है, कि अभी तक अनुसूचित जाति की महिलाओं का पूर्ण सशक्तिकरण नही हो पाया है। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महिला सशक्तिकरण की योजनाओं तथा कार्यक्रमों एवं शिविर के माध्यम से अनुसूचित जाति की महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि सशक्तिकरण नही हो पाया है।

आज भी अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाऐ स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नही है, इस समुदाय की महिलाऐ पति या परिवार के पुरूष के निर्णय पर ही नीतियों एवं कार्यों को प्रारम्भ या सम्पन्न करती है।

सम्पूर्ण शोध-क्षेत्र में **साक्षात्कार विधि, अनुसूची विधि, निर्देशन विधि तथा प्रतिचयन विधि, वैयक्तिक अध्ययन विधि, प्रश्नावली विधि तथा अवलोकन विधि आदि विधियों के द्वारा सर्वे** कार्य करने पर अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाऐं वर्तमान एवं प्राचीन समय में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि के आधार पर कितनी ? सशक्त हुई है या नही का तुलनात्मक निष्कर्ष प्राप्त हुआ है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. भल्ला, एल.आर. 2021, राजस्थान का भूगोल, कुलदीप पब्लिकेशन, जयपुर पृ. सं. 1-30
2. दाधिच, पी.एन., हानोका, 2011, क्षेत्रिय अस्थायी नगरीय अभिवृद्धि, जयपुर-जर्नल, 18 (3), 40-60
3. डिस्ट्रीक्ट सेन्सुई हैण्डबुक, 2011, राजस्थान जिलेवार जनसंख्या पुस्तक, पृ. सं. 15-16
4. एफ.एस.आई., 2015, राजस्थान राज्य वन प्रतिवेदन, 2015
5. भारतीय मौसम विभाग, सांगानेर, जयपुर, वर्षा वितरण प्रतिवेदन, जयपुर
6. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, मास्टर प्लान विकास योजना, 2025

7. खान, एस.एच, 2013 राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास, जयपुर पब्लिकेशन, पृ. सं.

32-50

8. सक्सेना, एच.एम., राजस्थान का भूगोल, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पृ. सं. 1-3,

5, 25

9. डॉ. एम.डी. मौर्य, सांस्कृतिक भूगोल, पृ. सं. 5

10. शर्मा, डॉ. गोपीनाथ, राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास, राज प्रकाशन, जयपुर, पृ. सं.

1-5

11. ओम प्रकाश जोशी, राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा राज प्रकाशन, जयपुर पृ. सं. 2-4

12. ब्रटून, टी.एल. वर्ष 1970, एंटरटेनमेंट, रिसर्च एण्ड प्लानिंग, अनविन एण्ड एलन, लंदन

13. एस.एन. चिब, 1980, पर्यटन नीति- एक राजनीतिक अपराध पूर्वी अर्थशास्त्री

14. सुहिता चोपडा, 1991 ई, "भारत में पर्यटन और विकास" आशीष पब्लिशिंग हाऊस,

नई दिल्ली

15. जे. कोल्लोय, क्रिस्टोफर, 1938 ई. पर्यटन व्यवसाय, इवास इगलैण्ड

16. दुलार, रवीन्द्र कुमार, वर्ष-2004, राजस्थान और धार्मिक पंर्यटन केन्द्र, नवजीवन प्रकाशन टोंक

17. सिंह, जगदीश, पर्यटन व्यवसाय तथा विकास, तेज प्रकाशन, नई दिल्ली।

18. शर्मा, प्रो. एच.एस., राजस्थान का भूगोल, 2017, पंचशील प्रकाशन जयपुर, पृ. सं. 5-10

19. आर्थिक एवं सांख्यिकी रिपोर्ट, 2011, जयपुर, सांख्यिकी विभाग, जयपुर

20. राजस्थान पर्यटन विभाग प्रतिवेदन, जयपुर